न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/2017

1. जीतसिह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री रमेशसिंह अधिवक्ता — प्रार्थी
2. पैराकार राज — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.06.2017

प्रार्थी जीतसिह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि वादी के पिता हुक्मसिंह के नाम से वाके चक 1 सी बड़ी पटवा क्षैत्र ओड़की के मुरब्बा नम्बर 33 व 34 में कुल रकबा 10.286 हैक्टर में से 1/9 हिस्सा रकबा खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी दर्ज कागजात माल था जिसमें वादी के पिता की जाति रायसिख दर्ज है।

वादी के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त रकबा वादी को विरास्तन प्राप्त हुआ लेकिन उक्त रकबा का अमल दरामद जब वादी के पक्ष में हुआ तब सहवन से वादी की जाति बावरी दर्ज हो गई जबकि वादी की जाति रायसिख है।

वादी की जाति रायसिख है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में वादी के पिता हुक्मसिंह की जाति रायसिख अंकित है वादी के नाम से राज्य अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कार्यालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जारी शुद्धा है, लेकिन लिपिकिय भूलवश वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में बावरी गलत दर्ज हो गई है।

वादी द्वारा दिनांक 12.04.2016 को प्रतिवादी से मौखिक निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में मेरी जाती का सही अंकन किया जावे लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई सन्तोष जनक जबाब नहीं दिया और कहा की आदेश लेकर आओं इसलिये यह वाद पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अतः वाद वादी निम्न आधारों पर डिक्री फरमाया जावे :–

1. वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में सहवन से बावरी दर्ज हो गई है बावरी जाति को कलमजन किया जाकर वादी की जाति रायसिख दर्ज की जावे।
2. वाद खर्चा भी दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 20.05.2014 विरास्तन दर्ज करने में सहवन से वारिसान की जाति ''रायसिख'' के स्थान पर ''बावरी'' दर्ज हो गई है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी को अपनें प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रार्थी द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपना जाति प्रमाण पत्र तथा नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 20.05.2014 की प्रति पेश की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 20.05.2014 में प्रविष्टि की दौरान लिपिकिय त्रुटि होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाया गया है।

–:: आदेश ::–

अतः नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 20.05.2014 में प्रविष्टि की दौरान लिपिकिय त्रुटि होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 20.05.2014 में तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थी जीतसिह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जाति ''बावरी'' के स्थान पर ''रायसिख'' दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दूमल कोट के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर